सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

सं0 YS/2/2014/STGBH/DELAAL/RU-III

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
6^{TH} Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110003
दिनांक : 17-07-2017

सेवा में,

1. प्रधान सचिव,
   भू-राजस्व विभाग, बिहार सरकार,
   पटना (बिहार)

2. जिलाधिकारी,
   जिला-सारण, छपरा,
   बिहार-841301

विषयः श्री योगेश्वर साह, ग्राम-फूचटी कांझा, पोस्ट-केसरी मठिया, थाना-एकमा, जिला-छपरा सारण (बिहार) के जमीन पर कब्जा करने के परिवाद पर आयोग के माननीय उपाध्यक्ष, सुश्री अनुसूईया उइके के समक्ष दिनांक 28.06.2017 को हुई बैठक का कार्यवृत्त।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 28.06.2017 को आयोग में हुई बैठक के कार्यवृत्त की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न कर आपको भेजी जा रही है।

अनुरोध है कि प्रकरण में अनुपालन रिपोर्ट आयोग को एक माह के भीतर भिजवाने का कष्ट करें।

4536-38
18/7/17
जारी किया
ISSUED

भवदीय,

(एस.पी. मीना)
सहायक निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :

1. श्री योगेश्वर साह, ग्राम-फूचटी कांझा, पोस्ट-केसरी मठिया, थाना-एकमा, जिला-छपरा सारण (बिहार)

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

सं. वाईएस/2/2014/एसटीजीबीएच/डीईएलएएएल/आर.यू.-3

श्री योगेश्वर साह, ग्राम-फूच्टी कांझा, पोस्ट-केसरी मठिया, थाना-एकमा, जिला छपरा सारण (बिहार) के मामले में माननीया उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके के समक्ष दिनांक 28/06/2017 को 1500 बजे को हुई बैठक का कार्यवृत्त ।

बैठक की तिथि 28/06/2017

बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्नक " क " पर

श्री योगेश्वर साह, ग्राम-फूच्टी कांझा, पोस्ट-केसरी मठिया, थाना-एकमा, जिला सारण (छपरा), बिहार ने अभ्यावेदन दिनांक 09/10/2014 आयोग को प्रस्तुत कर अवगत कराया कि गाँव में उनकी जमीन खाता नम्बर 611, सर्वे नं. 4958 रकवा 3 काटा 15 धूर पर श्री उमा शंकर राय द्वारा कब्जा कर एवं जान से मारने की धमकी दी जा रही है । उसने इस संबंध में आयोग को न्याय के लिये अनुरोध किया हैं ।

आयोग द्वारा इस मामले पर आवश्यक कार्रवाई हेतु दिनांक 13/10/2014 जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक जिला छपरा सारण, बिहार को नोटिस भेजा । अभ्यावेदक श्री योगेश्वर साह ने अनुवर्ती अभ्यावेदन दिनांक 08/11/2014, 15/03/2015 एवं 07/10/2014 आयोग को प्रस्तुत किये, जिस पर रिपोर्ट हेतु आयोग द्वारा विस्तृत पत्र दिनांक 07/05/2015 जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक जिला छपरा सारण, बिहार को भेजा ।

प्रकरण/मामलें में माननीय उपाध्यक्ष महोदया ने संज्ञान लेकर 28/06/2017 को अपराहन 1500 बजे चर्चा हेतु प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार तथा जिला कलेक्टर, सारण (छपरा) को आयोग मुख्यालय बुलाया ।

श्री योगेश्वर साह को मामलें में अपना पक्ष स्पष्ट करते हुये बताया कि
आयोग के पत्र दिनांक 03/02/2017 के सन्दर्भ में अंचल अधिकारी, एकमा एवं अंचल निरीक्षण, एकमा द्वारा अभ्यावेदक की उपस्थिति में भूमि की खाता संख्या 611, खसरा नं. 4958 की नापी का

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कार्य दिनांक 18/03/2017 को किया गया, जिससे मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ । यदि मेरे अभ्यावेदन के अनुसार खसरा नं. 4958 एवं 5009 की नापी हो जाती तो स्थिति स्पष्ट हो जाती ।

जिला कलेक्टर सारण (छंपरा) ने अवगत कराया कि मामले में नापी हुई है तथा नापी के बाद निशान भी लगाये गए हैं । इसकी सूचना आयोग को पत्र दिनांक 03/04/2017 के माध्यम से सूचित भी किया गया है ।

आयोग का मानना है कि उक्त प्रकरण में यदि खाता नं. 611, खसरा 4958 एवं 5009 की नापी नियमानुसार निश्चित स्थान से की जावे ताकि अभ्यावेदक को अपनी जमीन का सीमा का ज्ञान हो सके जिसपर उपस्थित राज्य सरकार के अधिकारियों ने भी अपनी सहमति प्रदान की । अतः आयोग सलाह देता है कि उक्त मामलें में नियमानुसार सरकारी अमीन से उच्चाधिकारियों की उपस्थिति में वर्णित खसरा नं. 4958 व 5009 की 15 दिन में नापी की जावें तथा की गई कार्यवाही से आयोग को शीघ्र अवगत करावें ।

(सुश्री अनुसुईया उइके)

उपाध्यक्ष

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi